न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : 12/2019

–: वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. भंवरदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी बासनी जसावतां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. मेघाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली निवासी चौखा तहसील व जिला जोधपुर 2. बाबुलाल पुत्र भुराराम जाति माली निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 3. ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 4. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री गुमानराम चौधरी, रामदयाल चौधरी, रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 14/07/२०२१

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किवादी की सहखातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम बासनी जसावतां पटवार हल्का भोपालगढ़ एमबी तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में खसरा नं. 92 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादी की सहखातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि है जिसमें वादी का 1/3 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 वां हक व हिस्सा निहीत है तथा इसी हक व हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के मध्य वादग्रस्त आराजी पर मौके पर अलग अलग बंटवाड़ा किये हुए है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने बंट व हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी के मौके पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बंट व हिस्से की भूमि के चारों तरफ पत्थरों की दीवार निकाली हुई है तथा वादी के बंट व हिस्से की भूमि कके तीन तरफ दीवार निकाली हुई है। वादग्रस्त आराजी के मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन कानून अनुसार माप व सीमांकन के बंटवाडा किया हुआ नही है तथा वादग्रस्त आराजी का खाता शामलाती है इसलिए वादी वादग्रस्त आराजी का माप व सीमांकन के बंटवाडा करवाने का अधिकारी है। यह है कि दिनांक 10.02.2019 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में आये तथा वादी को उसके बंट व हिस्से की भूमि से वादी को जबरन बेदखल करने व खुर्द बुर्द करने एवं बेचान हस्तान्तरण करने की ऐलानियां धमकी दी जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादी वादग्रस्त आराजी में अपने हक व बंट की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। आप लोगों को वादी को जबरन बेदखल करने वा वादी की भूमि को खुर्द बुर्द करने व बेचान [illegible] करने का कोई विधिक अधिकार नही है जिस पर प्रतिवादीगण वाद से अत्यधिक नाराज हो [illegible] वादी को ऐलानिया धमकी दी कि प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल कर देंगे व [illegible] बंट की भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे एवं अविभाजित आराजी को बेचान हस्तान्तरण कर देंगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है, इसलिए न्याय[illegible] स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है। यह है कि वाद कारण दिनांक 10.02.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को ऐलानियां धमकी देने से बमुकाम ग्राम बासनी जसावतां में उत्पन्न हुआ है जो लगातार उत्पन्न हो रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बासनी जसावतां की सीमा में स्थित होने से वादपत्र श्रीमान् न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की ओर से भंवरदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी बासनी जसावतां तहसील भोपालगढ़ एवं जेतदान पुत्र जेठूदान जाति चारण निवासी बासनी जसावतां तहसील भोपालगढ़ के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संवत् 2059–2062 में खसरा नं. 92 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसमें वादी 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार–काश्तकार है। जिसका माफिक राजस्व रेकर्ड वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनाँक 22.02.2021 को इस आशय की सादिर की गई थी कि राजस्व ग्राम बासनी जसावतां पटवार हल्का भोपालगढ़ एमबी तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में खसरा नं. 92 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है, जिसका बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्ड्स करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, भोपालगढ़ को आदेशित किया गया। तहसीलदार, भोपालगढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः– राजस्व/प्राथ.डिक्री/2021/47 दिनांक 16.04.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वादी वकील सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी वकील एवं डिक्री की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम बासनी जसावतां पटवार हल्का भोपालगढ़ एमबी तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में खसरा नं. 92 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	रंग
1	भंवरदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण सा. देह खातेदार	92	0.3507	बारानी द्वितीय	हरा
2	बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति माली सा. भोपालगढ़ खातेदार (फौत)	92	0.3507	बारानी द्वितीय	पीला
3	मेघाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली सा. चौखा तह. जोधपुर खातेदार	92	0.3507	बारानी द्वितीय	लाल
4	भंवरदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण सा. देह, बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति माली सा. भोपालगढ़, मेघाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली सा. चौखा तह. भोपालगढ़ खातेदार (शामलाती रास्ते हेतु)	92	0.1620	बारानी द्वितीय	भूरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 14/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़**
बईजलास :–**श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

–: वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. भंवरदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी बासनी जसावतां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. मेघाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली निवासी चौखा तहसील व जिला जोधपुर 2. बाबुलाल पुत्र भुराराम जाति माली निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 3. ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 4. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत्‌बंटवाड़ास्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:12 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री गुमानराम चौधरी, रामदयाल चौधरी, रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता, वादीमिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्राम बासनी जसावतां पटवार हल्का भोपालगढ़ एमबी तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में खसरा नं. 92 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय भूमि बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	रंग
1	भंवरदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण सा. देह खातेदार	92	0.3507	बारानी द्वितीय	हरा
2	बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति माली सा. भोपालगढ़ खातेदार (फौत)	92	0.3507	बारानी द्वितीय	पीला
3	मेघाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली सा. चौखा तह. जोधपुर खातेदार	92	0.3507	बारानी द्वितीय	लाल
4	भंवरदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण सा. देह, बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति माली सा. भोपालगढ़, मेघाराम पुत्र पुरखाराम जाति माली सा. चौखा तह. भोपालगढ़ खातेदार (शामलाती रास्ते हेतु)	92	0.1620	बारानी द्वितीय	भूरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/07/2021 को जारी किया गया ।

मोहर (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

(सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर))

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested